

IS15700:2018



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड आगरा-02, आफिस काम्पलेक्स, (तृतीय तल)
सेक्टर-13, पं0 दीनदयाल उपाध्यायपुरम (सिकन्दरा योजना), आगरा।

e-mail : ceed30@gmail.com cd30agr@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं0-1373/

E.N.G. -24

/ 2027

दिनांक-15/06/2024

अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से बी0ओ0क्यू0 में लिये गये कार्य के अनुसार परिषद में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा, टू-बिड पद्धति में निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में निम्नलिखित विवरण के अनुसार खण्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। कार्यों की मात्राएं बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होंगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित कुल लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह)	पंजीकृत श्रेणी ग्रुप
1	जनपद मथुरा में अलंकार परियोजना के अन्तर्गत वी0डी0पी0 राजकीय इण्टर कालेज में मल्टीपरपज हॉल का कार्य।	36.45	0.75	1500+GST	03 माह	चतुर्थ श्रेणी
2	जनपद मथुरा में अलंकार परियोजना के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल भदाया गंगाधर में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य।	36.45	0.75	1500+GST	03 माह	चतुर्थ श्रेणी
3	जनपद मथुरा में अलंकार परियोजना के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल झुडावई में शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था का निर्माण कार्य।	20.60	0.45	1500+GST	03 माह	चतुर्थ श्रेणी

निविदा का विवरण	तिथि व समय
Document Download Start Date	18.06.2024 (03:00 PM)
Document Download End Date	25.06.2024 (03:00 PM)
Bid Submission Start Date	18.06.2024 (03:00 PM)
Bid Submission/Closing Date	25.06.2024 (03:00 PM)
Technical Bid Opening Date	25.06.2024 (03:30 PM)
Financial Bid Opening Date	तकनीकी बिड परीक्षण उपरान्त तिथि निर्धारित की जायेगी।

ई-निविदा हेतु :-

अ-निविदा से संबंधित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग RTGS के माध्यम से जमा किया जायेगा। RTGS निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदा हेतु दिनांक 24.06.2024 की अपराह्न 04:00 बजे तक तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा।

यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि कार्यालय में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा।

निर्माण खण्ड आगरा-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा का एकाउन्ट नम्बर

Concerning Division Office: Executive Engineer Construction Division -30,
U.P. Housing & Development Board, Office Complex
Sector - 13, Sikandra Yojna, Agra.

Accounts Detail for RTGS: Indian Bank, Agra
Branch UPAVP, Sector -4, Agra
Account No. 21156130649
IFSC No.IDIB000U532

ब- निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से संबंधित आर0टी0जी0एस0 का यू0टी0आर0 नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

स- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार/फर्म नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई बदलाव अथवा अन्य सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जायेगी।

सामान्य शर्तें


- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अंतर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृत एवं अनुबंध गठन के बाद एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जाएगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जाएगी।
- निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में

(Handwritten signature)

स्थल से संबंधित कोई क्लेम मान्य नहीं होगा तथा कार्यस्थल में परिवर्तन होने पर उपरोक्तानुसार निविदादाता को परिवर्तित कार्यस्थल मान्य होगा।

- 3- निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबंध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टाम्प अनुबंध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
- 4- निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का नियमानुसार जमानत धनराशि (धरोहर धनराशि घटाते हुये) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड के पक्ष में बंधक हो, जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी।
- 5- अनुबंध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
- 6- निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 3 माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्लाम्प पेपर रू0 1.00 का रेवेन्यू स्टॉम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 7- निविदादाता/फर्म द्वारा दिए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने एवं निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर न होने पर अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के बाद होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
- 8- निविदादाता/फर्म को GST में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। बी0ओ0क्यू0 की दरों में GST सम्मिलित नहीं हैं, तथा तदसमय GST का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जाएगा तथा समय-समय पर शासन द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन किये जाने पर वे निविदादाता को मान्य होंगे।
- 9- निविदादाता/फर्म के सभी देयकों से कार्य की लागत पर आयकर, लेबर सेस, जी0एस0टी0(टी0डी0एस0), रॉयल्टी तथा अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
- 10- यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को पूर्व निर्धारित समय पर खोली जाएगी।
- 11- शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण एवं हस्तान्तरण होने के पश्चात् तीन वर्ष होगी तथा यह धनराशि कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत धनराशि कैश/एफ0डी0आर0 के रूप में रोकी जायेगी एवं उक्त धनराशि डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही अवमुक्त की जाएगी।
- 12- समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों एवं सम्बन्धित विभाग की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जाएंगे।
- 13- जी0पी0डब्लू0-9 फार्म अनुबंध का हिस्सा होगा।
- 14- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित कम्प्लेटिव प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।
- 15- उ0प्र0 शासन के लोक निर्माण अनुभाग -12 के पत्र सं0- 622/23-2012-2 आडिट/08 टी दिनांक 08.06.2012 तथा समविषयक आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय के पत्रांक - 1282/एम-2/दिनांक 02.04.2013 के अन्तर्गत एल-1 निविदादाता द्वारा निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित दरों से 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 01 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफार्मेंस गारन्टी FDR/CDR के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम सात दिनों के अन्दर मुख्यालय के आदेश सं0 4196/दिनांक 14.09.2018 के अनुसार जमा करनी होगी अन्यथा निविदा में संलग्न धरोहर धनराशि को राज्यसात करतें हुये निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परफार्मेंस/सिक्वोरिटी धनराशिसम्बन्धित शासनादेश में निहित प्रक्रिया के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।
- 16- निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जाएगा।
- 17- सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके संबंध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।
- 18- परियोजना को सम्बन्धित विभाग को हैण्ड ओवर कराने का दायित्व अनुबन्धक का होगा। अनुबन्ध के अन्तिम देयक का भुगतान परियोजना के हैण्डओवर करने के पश्चात् ही किया जायेगा।
- 19- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 20- शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, सैण्ड, स्टोन ग्रेट/बेलास्ट इत्यादि पर रॉयल्टी भुगतान की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एवं सत्यापन उपरान्त ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या-3385-2015-292/2015 दिनांक 15/10/2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रॉयल्टी प्राप्त जमा नहीं करती है तो निर्धारित रॉयल्टी की धनराशि के अतिरिक्त पांच गुना धनराशि फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
- 21- वर्तमान में कार्य कर रहे जिन ठेकेदारों के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 22- किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद- आगरा होगा।
- 23- दीमक प्रतिरोध का कार्य किसी लाइसेन्सधारी एन्टीटरमाइट कार्य एवं सम्बन्धित प्रतिष्ठित एजेन्सी से कराया जाना होगा एवं रू0 100 के स्टाम्प पर 10 साल की गारन्टी देय होगी।
- 24- विद्युत सम्बन्धी कार्य विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ में पंजीकृत वैध लाइसेन्सधारक से कराया जाना अनिवार्य है।

- 25- कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यस्थल के सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र निविदादाता को सम्बन्धित विभागों से लेना अनिवार्य है।
- 26- कोविड-19 के अन्तर्गत कार्यस्थल पर सोशल डिस्टैन्स सेनेटाइजेशन/फिजिकल डिस्टैन्स का पूर्णतया ध्यान रखना अनुबन्धक का उत्तरदायित्व होगा।
- 27- परियोजना पर शासन से धनराशि समय से उपलब्ध न होने के कारण यदि कार्य के भुगतान में विलम्ब होता है तो इसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 28- निर्माण कार्य हेतु मृदुजल की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
- 29- कार्य सम्पादित कराये जोन के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 30- ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- 31- उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग से धनराशि तद्दिनांक तक प्राप्त नहीं है, धनराशि प्राप्त होने के बाद ही निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- 32- निविदा के साथ प्रत्येक निविदादाता को वैध चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत परिषद में पंजीकरण की प्रति, जनरल सिक्योरिटी व पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त समस्त प्रपत्र पूर्ण होने पर ही निविदा मान्य होगी।
- 33- वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निविदादाता द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड NGI/TTZ की निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार किया जाना होगा।


(नवजोत सिंह)


अधिशाली अभियन्ता

दिनांक : / / 2024

पृ0सं0:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता (महो0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक, ग्लोबल कन्सल्टेशन एंड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता-आगरा/अवध विहार/वृन्दावन प्रोजेक्ट/अयोध्या/बागपत/बुन्देलखण्ड/गाजियाबाद/गोरखपुर/वाराणसी/कानपुर/लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/रुहेलखण्ड, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
4. अधिशाली अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निविदा सूचना को परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
5. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-01/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा/अलीगढ़।
6. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार तिथियों से पूर्व ई-निविदा वेबसाइट पर निविदायें अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. नोटिस बोर्ड।


अधिशाली अभियन्ता